Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Service Appeal No.-204/2024]
Md. Shams Tabrez Alam.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.4.2026	**आदेश** यह अपील वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-979/स्था. दिनांक-28.8.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-17.3.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-979/स्था. दिनांक-28.8.2024 के द्वारा अपीलार्थी श्री शम्स तबरेज आलम, लिपिक, अंचल कार्यालय, पूर्णिया के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल 06 आरोपों के संदर्भ में 01-01 आरोप के आंशिक एवं पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 संशोधित 2007 के नियम-14 के उपनियम-(V) के आलोक में अपीलार्थी श्री आलम के विरूद्ध 01(एक) वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने हेतु शास्ति अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 1996 में अपीलार्थी का चयन वर्ग-3 के कर्मचारी के रूप में पूर्णिया जिला में हुआ था। जिसके उपरांत उनके द्वारा पूरी ईमानदारी एवं लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। उनका कहना है कि पूर्णिया पूर्व अंचल में लिपिक के पद पर कार्य करने के दौरान जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-258/स्था. दिनांक-06.3.2023 के माध्यम से उन पर कुल 06 आरोप लगाए गए। तथा यह कि विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया। उनका कहना है कि उनके द्वारा समर्पित किये गये स्पष्टीकरण के आलोक में उपस्थापन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व के द्वारा अपने मंतव्य में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि आवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य है। उनका यह भी कहना है कि उन पर लगाए गए कुल 06 आरोपों के संदर्भ में 04 आरोप अप्रमाणित जबकि 01-01 आरोप आंशिक रूप एवं पूर्ण रूप से प्रमाणित पाये गये हैं। उनके द्वारा प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त आरोप निराधार है। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि संचालन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के स्तर से अनुशासनिक प्राधिकार को अपना मंतव्य उपलब्ध कराने के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के द्वारा उनसे द्वितीय स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गयी। साथ ही जाँच रिपोर्ट की प्रति भी उन्हें प्रदान नहीं की गयी। तथा यह कि बिना उन्हें पर्याप्त मौका दिये ही आदेश पारित किया गया है। जो सही नहीं है। अतः अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत मामले में अपीलार्थी के विरूद्ध चलाये गये विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के कंडिका-3 एवं 4 में वर्णित आरोपों के सापेक्ष क्रमशः आंशिक रूप से प्रमाणित	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	02.4.2026	एवं प्रमाणित पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के द्वारा अपीलार्थी पर विभागीय नियमानुसार दंड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा वाद पत्र में उन्हें पर्याप्त समय, मौका नहीं दिये जाने एवं निम्न स्तर से प्रमाणित आरोपों के बेबुनियाद होने का उल्लेख किया गया है। परन्तु इस संबंध में उनके स्तर से कोई संगत साक्ष्य/तथ्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध पदीय कदाचार का आरोप प्रमाणित होता है। वर्त्तमान सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अनुशासनिक प्राधिकार (निम्न न्यायालय) के स्तर से प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर नियमानुसार एवं यथोचित दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजें। 02/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 02/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	